N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0085 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/04/2025 21:08 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 03/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/04/2025 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/04/2025 21:08:36 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KALI MATA KA MANDIR GADRPURA ROAD, DHALPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): AMIT KUMAR
   (b) Father's Name (पिता का नाम): PURSHOTTM
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2003 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM SAREKHI, SAIPAU, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM SAREKHI, SAIPAU, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KRISHAN MURARI		पिता:RANVEER SINGH	1. GADARPURA,NIHALGANJ,DHO
2	BANVARI LAL		पिता:RANVEER SINGH	1. GADARPURA,NIHALGANJ,DHO

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर, विषयः-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बावत, महोदय, उपरोक्त निवेदन है कि मै अमित कुमार पुत्र श्री षुरूषोत्तम जाति ठाकुर उम्र 22 साल निवासी सरेखी पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर का रहने वाला हूं। पुलिस थाना सैपऊ में करीब दो या तीन महीने पहले मेरे व मेरे पिताजी जी एवं मेरे बडे भाई श्री कृष्ण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी जांच श्री कृष्ण मुरारी हैड कॉनिस्टेबल पुलिस थाना सैपऊ ने की थी, मुकदमें का माननीय न्यायालय में चालान पेश कर दिया था, श्री कृष्ण मुरारी उक्त मुकदमें हमारी की गई मदद एवं भविष्य में परेशान नही करने की एवज में 5000/- रूपये की मांग कर परेशान कर रहा है यदि तुम मुझे खर्चा पानी एवं फाईल खर्चे के 5000/- रूपये नहीं दोगे तो मैं तुम्हे अन्य किसी मुकदमें फंसा कर गिरफ्तार कर लुंगा। मैं श्री कृष्ण मुरारी हैड कॉनिस्टेबल को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं, मेरी उससे कोई पुरानी रंजिश नही है और नाही कोई रूपयो का लेन-देन बकाया है। प्रार्थी एसडी अमित कुमार पुत्र श्री षुरूषोत्तम जाति ठाकुर उम्र 22 साल निवासी सरेखी पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर मो. [redacted] दिनांक 28.03.2025 एसडी सुरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 28.03.25 एसडी वकील खॉन कनिष्ठ सहायक दिनांक 01.04.2025 एसडी सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक दिनांक 01.04.2025 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 28.03.2025 समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री अमित कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ठाकुर उम्र 22 साल निवासी सरेखी पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर के पदनाम संबोधित करते हुये मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिह को इस आशय की पेश की मै अमित कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ठाकुर उम्र 22 साल निवासी सरेखी पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर का निवासी हूं। पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर में करीब दो या तीन महीने पहले मेरे व मेरे पिताजी जी एवं मेरे बडे भाई श्री कृष्ण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी जांच श्री कृष्ण मुरारी हैड कॉनिस्टेबल पुलिस थाना सैपऊ ने की थी, मुकदमें का माननीय न्यायालय में चालान पेश कर दिया था, श्री कृष्ण मुरारी उक्त मुकदमें हमारी की गई मदद एवं भविष्य में तंग परेशान नही करने की एवज में 5000/- रूपये की मांग कर परेशान कर रहा है। पूछताछ पर परिवादी ने बताया कि कृष्ण मुरारी हैड साहब धमकी दे रहे हैं कि यदि तुम मुझे खर्चा पानी एवं फाईल खर्चे के 5000/- रूपये नहीं दोगे तो मैं तुम्हे अन्य किसी मुकदमें फंसा कर गिरफ्तार कर लुंगा। मैं श्री कृष्ण मुरारी हैड कॉनिस्टेबल को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं, मेरी उससे कोई पुरानी रंजिश नही है और नाही कोई रूपयो का लेन-देन है। उपरोक्त रिपोर्ट एवं परिवादी ने उक्त रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिखित होना पूछताछ पर बताया। लिखित रिपोर्ट एवं पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रक्रिया अनुसार रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इसके बाद समय 11.30 ए.एम पर गवाह श्री योगेश सिह कानि. 88 व श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के समक्ष रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय की आलमारी से निकालकर मय खाली मैमोरी कार्ड 32 जी.बी राजधानी कम्पनी के सहित विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू एवं बन्द करने की विधि परिवादी श्री अमित कुमार को समझाकर कर श्रीकान्त हैड कानि. 72 को सुपुर्द कर हिदायत दी कि उक्त विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द कर बाद रिश्वत मांग सत्यापन विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय में लाकर मेरे समक्ष पेश करे। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुचारू रूप से सही कार्य कर रहा है डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में पूर्व से कोई रिकॉडिंग नही है। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.00 पी.एम पर गवाह श्री योगेश सिह कानि. 88 व श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के समक्ष परिवादी श्री अमित कुमार की मौजूदगी में श्रीकान्त हैड कानि. 72 ने जरिये फर्द सुपुर्द शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मांगने पर अपने पास से निकालकर मेरे समक्ष पेश किया, जिसमें रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर सुना गया जिसमें रिश्वत मांग की वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं व श्रीकान्त हैड कानि. 72 कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर से रवाना होकर पुलिस थाना सैपऊ के

पास पहुँचे जहां पर मैने श्रीकान्त हैड कानि. से विभागीय वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त करके पुलिस थाना सैपऊ में जाकर आरोपी श्री कृष्ण मुरारी हैड कॉनिस्टेबल के पास गया जहां आरोपी ने पुलिस थाना सैपऊ में हमारे विरूद्ध दर्ज मुकदमें हमारी की गई मदद एवं भविष्य में परेशान नही करने की एवज में 5000/- रूपये मांग कर परेशान कर रहा है, निवेदन करने पर 4000/- रूपये लेने पर सहमत गया है। इसके बाद मैने विभागीय वॉईस रिकॉर्डर को श्रीकान्त हैड कानि. को सुपुर्द कर दिया जिन्होने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया इसके बाद वहां से रवाना होकर हम एसीबी चौकी धौलपुर आ गये। परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि श्रीकान्त हैड कानि. द्वारा की गई। इसके बाद डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद समय 03.00 पी.एम पर परिवादी श्री अमित कुमार ने बताया कि मुझे आवश्यक कार्य होने के कारण मुझे घर पर जाना आवश्यक है अतः आज कार्यवाही करवाया जाना असंभव है मैं आईन्दा कार्यालय में उपस्थित हो जाऊगा इस परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। इसके बाद दिनांक 01.04.2025 समय 01.00 पी.एम पर परिवादी श्री अमित कुमार कार्यालय उपस्थित हुआ जिसे हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 01.20 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री मनोज कुमार कानि. 179 को स्वतंत्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर रवाना किया गया। इसके बाद समय 02.15 पी.एम पर श्री मनोज कुमार कानि. 179 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा वापस आया और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर पहुंचा जहां स्वतंत्र गवाहान को मुताबिक निर्देशानुसार हमराह साथ लेकर कार्यालय उपस्थित आया। तत्पश्चात समय 02.30 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय हैं जिनको मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो क्रमशः अपने नाम श्री वकील खॉन पुत्र श्री गुलाम रसूल जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी पंचगॉव पुलिस थाना, सदर जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर । मो.नं.-[redacted] व श्री सिकन्दर खॉन पुत्र श्री विपती खॉन जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी धोबी पाडा बसेडी पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर । मो.नं.- [redacted] जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी लिखित सहमति दी, तत्पश्चात दोनों का गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री अमित कुमार से आपस में एक-दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहान को परिवादी श्री अमित कुमार द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 28.03.2025 दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर दिनांक संहित अंकित करवाये गये। इसके बाद समय 03.00 पी.एम पर विभागीय वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर से टेबिल स्पीकर को कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री अमित कुमार व गवाहान श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर व श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त रिकॉर्ड वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु एवं दो डीवीडीयां क्रमशः- मुलजिम प्रति एवं आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डी.वी.डी को अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द जप्त किया गया। सील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मार्क M व सील्ड शुद्रा डी.वी.डी. पर मार्क A अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डी.वी.डी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं रिश्वत मांग सत्यापन तैयार फर्द ट्रासक्रिप्ट से श्री कृष्ण मुरारी हैड कॉनिस्टेबल पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर द्वारा परिवादी व परिवादी के पिताजी व बडे भाई के विरूद्ध पुलिस थाना सैपऊ में दर्ज मुकदमें में मदद करने एवं भविष्य में परेशान नही करने की एवज में 5000/- रूपये मांग करना एव परिवादी के निवेदन करने पर 4000/- रूपये रिश्वत लेने पर सहमत होना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। सील्ड मैमोरी कार्ड व मुल्जिम डी.वी.डी. को मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि. 72 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। इसके बाद समय 05.20 पी.एम पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि को 4000/- रूपये रिश्वत मांग सत्यापन से स्पष्ट है जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अमित कुमार से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000/-रूपये के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा का इन्तजाम है जो अभी मेरे पास उपलब्ध है। परिवादी को हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 05.20 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अमित कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ठाकुर उम्र 22 साल निवासी सरेखी पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर से आरोपी को रिश्वत में दी

जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से पॉच-पॉच सौ रूपये के कुल 08 (आठ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल रकम मूल्य 4000/- (चार हजार) रूपये निकालकर पेष किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः- 01 एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 UN 345874, 02. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 WM 357866, 03. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 HL 134583, 04. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 NC 788656, 05. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 SQ 954785, 06. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 BM 094798, 07. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 BM 094799, 08. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 VK 156812। पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्रीकान्त हैड कानि. 72 प्रभारी मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री अमित कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 4000/-(चार हजार) रूपये के नोटों को श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि0 67 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी से अभिवादन के समय हाथ नही मिलावे एवं आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा अथवा मोबाईल से मिसकॉल देकर अवगत करावे, उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाली श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों स्वतत्र गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिष्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दुरूस्त हालात में कार्य कर रहा है व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड 32 जी.बी राजधानी कम्पनी में पूर्व से कोई रिकॉडिंग नही है। श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पेषकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर रसायनिक प्रतिक्रिया पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.30 पी.एम पर रात्रि का व्यक्त होने के कारण आज अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संभव नही होने पर अग्रिम कार्यवाही कल दिनांक 02.04.2025 की जावेगी इस पर परिवादी द्वारा पेश 4,000/-रूपये रिश्वत राशि जो फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मेमौरी कार्ड 32 जी.बी राजधानी कम्पनी खाली को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अमित कुमार से प्राप्त की जाकर मालखाना में सुरक्षित रखे जाने हेतु श्रीकान्त हैड कानि. 72 मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर सुरक्षित रखने हेतु हिदायत दी गई। ट्रेप बॉक्स को भी मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि. 72 सुपुर्द किया परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान समझाईस की आप कल दिनांक 02.04.2025 को प्रातः 09.00 बजे कार्यालय हाजा में उपस्थित होवे व कार्यवाही गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। दिनांक 02.04.2025 समय 09.15 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक, श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर कार्यालय उपस्थित हुये जिन्हे हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 09.35 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री अमित कुमार कार्यालय उपस्थित हुआ जिसे हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 11.09 ए.एम पर परिवादी श्री अमित कुमार के मोबाईल से आरोपी श्री कृष्ण मुरारी के मोबाईल पर कॉल करवाया तो आरोपी ने बताया कि मैं पुलिस थाना सैपऊ से बाहर हूं आज आरोपी पुलिस थाना सैपऊ पर नही हैं ऐसी सूरत में आज अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नही है। अग्रिम कार्यवाही आईन्दा अमल में लायी जावेगी। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान

समझाईस की आप कल दिनांक 03.04.2025 को प्रातः 09.00 बजे कार्यालय हाजा में उपस्थित होवे व कार्यवाही गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। दिनांक 03.04.2025 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री अमित कुमार कार्यालय उपस्थित आया एवं बताया कि आरोपी श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि. की ड्यूटी रेहना वाली माता मन्दिर राजाखेडा मेला में लगी हुई है वह मुझसे रिश्वत राशि वही प्राप्त कर सकता है इस पर परिवादी को हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया।तत्पश्चात समय 09.40 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक, श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर कार्यालय उपस्थित आये जिन्हे आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त किये जाने के संबंध में अवगत कराया एवं बाद हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 10.35 ए.एम पर परिवादी की जामा तलाशी लिवाई तो उसके पास मोबाईल फोन, परिचय-पत्र के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी व स्तवंत्र गवाहान के समक्ष श्रीकान्त हैड कानि. 72 से रिश्वत राशि फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 4,000/-रूपये व विभागीय डिजिटल व्हॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड 32 जी.बी राजधानी कम्पनी खाली को मालखाना में सुरक्षित रखे हुये थे को सुरक्षित बाहर निकालवा कर स्वतंत्र गवाह श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर को सुपुर्द कर श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक से उक्त रिश्वत राशि फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 4,000/-रूपये पॉच-पॉच सौ के आठ नोट को पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी नोट से मिलना कराया गया तो उक्त वही नोट पाये गये जो फर्द पेशकशी में अंकित है उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक के द्वारा परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायी तरफ की साईड की जेब में रखवाया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा अभिवादन के समय भी आरोपी से हाथ नही मिलाये हाथ जोडकर अभिवादन करे एवं आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे व परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व पूरी ट्रेप टीम द्वारा अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोये गये, ट्रेप टीम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई गई तो परिचय पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नही होना पाया गया। इसके बाद समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री अमित कुमार व श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 को परिवादी की निजी मोटर साईकिल व श्री मनोज कुमार कानि. 179, श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को निजी मोटरसाईकिल से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने हेतु बताये स्थान रेहना वाली माता मन्दिर राजाखेडा जिला धौलपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्रीकान्त हैड कानि. 72, व वकील खॉन कनिष्ठ सहायक को श्रीकान्त हैड कानि. की निजी मोटरसाइकिल से उनके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक, श्री श्री योगेश सिह कानि. 88 मय श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन मय चालक मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर, की-बोर्ड, माउस, टेबिल स्पीकर, मय विभागीय विडियों कैमरा मय विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड 32 जी.बी राजधानी कम्पनी खाली एवं ट्रेप बॉक्स के रेहना वाली माता मन्दिर राजाखेडा जिला धौलपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को एसीबी चौकी धौलपुर के मालखाना में ही सुरक्षित छोड़ा गया। श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। इसके बाद समय 11.50 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह मय परिवादी मय ट्रेप टीम मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी एव प्राईवेट वाहन के भरतपुर से रवाना होकर रेहना वाली माता मन्दिर के पास पहुंचा जहां परिवादी श्री अमित कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता कराई गई तो आरोपी ने स्वंय को ड्यूटी रेहना वाली माता के मन्दिर पर नही होना बताया, इस पर रेहना वाली माता मन्दिर से रवाना होकर ग्राम लुहारी के पास पहुंचा जहां पर परिवादी से आरोपी की मोबाईल पर पुनः वार्ता कराई गई तो आरोपी ने स्वंय को गडरपुरा धौलपुर होना बताया व काली माता मन्दिर गडरपुरा धौलपुर पर मिलने के लिए कहा इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी मय ट्रेप टीम मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी/ प्राइवेट वाहन के ग्राम लुहारी से काली माता मन्दिर गडरपुर धौलपुर रवाना हुआ। इसके बाद समय 02.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने हेतु बताये स्थान काली माता मन्दिर गडरपुरा धौलपुर के पास पहुंचा जहां आरोपी श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि. को रिश्वत राशि देने हेतु मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड राजधानी कम्पनी के चालू व बन्द करने की विधि समझाते हुये रवाना किया व हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल से कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में सूचित करे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के आसपास रहकर निगरानी जारी रखी गई कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री अमित कुमार से अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा प्राप्त हुआ इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक, श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर के आरोपी के पास पहुंचा जहां परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी श्री अमित कुमार ने अपने पास में खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही कृष्ण मुरारी हैड कानि. जिन्होने मुझसे रिश्वत के

फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रकम 4,000/-रूपये पांच-पांच सौ रूपये भारतीय चलन मुद्रा के कुल 08 नोट कुल मूल्य 4,000/-रूपये लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब में रख लिये हैं, इस पर कृष्ण मुरारी हैड कानि. से पूछा गया तो हैड कानि. जोर-जोर से आवाज लगाकर भीड को इक्ठ्ठा करने लगा हैड कानि. कृष्ण मुरारी की आवाज सुनकर काफी भीड इकट्ठी हो गई जो कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने लगी इस पर मौके से आरोपी हैड कानि. को सुरक्षित दोनो हाथ कलाईयों के ऊपर से दाहिना हाथ हैड कानि. श्री इन्द्रजीत सिह व बायां हाथ श्री शंकर लाल मीणा कानि. चालक 500 से पकडवाये जाकर सरकारी गाडी में बिठाया गया मौके पर कार्यवाही किया जाना मुमकिन नही होने कारण सुरक्षित स्थान पर कार्यवाही किये जाने हेतु ए.सी.बी कार्यालय धौलपुर के लिये मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर, इत्यादि के मौके से रवाना होकर एसीबी कार्यालय धौलपुर पहुंचा जहां आरोपी को सरकारी वाहन से उतारा गया आरोपी का दाहिना हाथ हैड कानि. इन्द्रजीत सिंह व बायां हाथ श्री शंकर लाल मीणा कानि. चालक 500 द्वारा कलाईयों के ऊपर से पकडे हुये थे, ए.सी.बी कार्यालय धौलपुर पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्यवाही की विडियों ग्राफी विभागीय विडियो कैमरा से श्री योगेश सिह कानि. 88 द्वारा शुरू कराई गई आरोपी हैड कानि. कृष्ण मुरारी से रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी कहने लगा कि मैने कोई रिश्वत नही ली गई है इस पर पास में खंडे परिवादी अमित कुमार से पूछा तो उसने बताया कि हैड साहब झूठ बोल रहे है इन्होने मेरे व मेरे परिजनो के खिलाफ पुलिस थाना सैपऊ में दर्ज मुकदमें में की गई मदद एवं फाईल खर्चे व भविष्य में तंग परेशान नही करने की एवज में 5000/-रूपये रिश्वत की मांग की गई थी जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में पेश की थी, जिस पर आपके द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया था, गोपनीय सत्यापन के दौरान हैड कानि. ने मुझसे 5000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी मेरे द्वारा निवेदन करने पर 4000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुये थे, उक्त गोपनीय मांग सत्यापन के अनुसरण में आज श्री कृष्ण मुरारी हैड साहब से मेरी वार्ता हुई थी जिन्होने मुझे काली माता मन्दिर गडरपुरा धौलपुर पर बुलाया था जहां मैने रिश्वत राशि 4000/-रूपये हैड साहब को दे दी थी, हैड साहब द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने के पश्चात मैने आपको ईशारा कर दिया था जिस पर आप व आपकी टीम मय स्वतंत्र गवाहान के मौके पर पहुंच गये थे, इस पर आरोपी कृष्ण मुरारी हैड कानि. से पुनः रिश्वत राशि के संबंध में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि मौके पर भीड-भाड इक्ठ्ठी होने के दौरान मैने रिश्वत राशि मेरे भाई बनवारी लाल जो कि आर.ए.सी में हैड कानि. है को दे दी थी जो भीड का फायदा उठाकर मौके से भाग गया था। इस पर बनवारी लाल को तलाश किये जाने हेतु श्रीकान्त हैड कानि. 72 व श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 मय सरकारी वाहन के मुनासिव हिदायत किया जाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर एसीबी चौकी धौलपुर में लगे वाटर कूलर मे से साफ पानी मंगवाकर डिस्पोजल गिलास को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर डिस्पोजल गिलास के घोल में श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूठा को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशीयों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर शील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। पुनः नया डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर डिस्पोजल गिलास के घोल में श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि. के बायां हाथ की अंगुलियों व अगूठा को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशीयों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर शील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। आरोपी कृष्ण मुरारी हैड कानि. द्वारा पहनी हुई पेन्ट जिसकी पीछे की जेब से रिश्वत राशि रखी गई थी। अतः उक्त पेन्ट को उतरवाकर आरोपी कृष्ण मुरारी को बैरिक मे से लोअर पेन्ट लिया जाकर पहनवाया गया। तत्पष्चात ट्रेप बॉक्स मे से डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त पानी का रंग रंगहीन रहा जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया तो सभी ने पानी को रंगहीन होना जाहिर किया इस पर उक्त पेन्ट की पीछे की जेब को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की शीशीयों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषी पर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन्ट हल्का काला चेक दार है जिस पर Jameel Brothers DRESSES DHOLPUR की चिट लगी हुई है पेन्ट को सुखवाकर पीछे की जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क P अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। टेªप कार्यवाही में काम लिये गये समस्त डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। परिवादी से प्राप्तषुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। श्रीकान्त हैड कानि. 72 मय ब्रह्मदेव कानि. 449 मय

सरकारी वाहन मय चालक वापस एसीबी चौकी धौलपुर आया अवगत कराया कि मुताबिक निर्देशानुसार एसीबी चौकी धौलपुर से बनवारी लाल हैड कानि. को तलाशी हेतु रवाना होकर पुलिस थाना निहालगंज पहुंचा जहा से स्थानीय जाप्ता हमराह लिया जाकर काली माता मन्दिर गडरपुरा रोड पहुंचा जहां रिश्वत राशि लेन-देन के स्थान व आस-पास के स्थान पर श्री बनवारी लाल को तलाश किया व आस-पडोसियों से पूछताछ की गई लेकिन बनवारी लाल हैड कानि. की कोई जानकारी प्राप्त नही हो सकी। आरोपी श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि. द्वारा मौके पर ए.सी.बी टीम को आता देखकर रिश्वत राशि अपने भाई बनवारी लाल हैड कानि. को दिया जाना पाया गया है रिश्वत राशि बरामदगी हेतु आरोपी से विशेष पूछताछ की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। कार्यवाही की कराई गई विडियों ग्राफी की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की जावेगी। आरोपी श्री कृष्ण मुरारी पुत्र श्री रनवीर सिह जाति गुर्जर उम्र 47 साल निवासी गडरपुरा पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल हैड कानि. 11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर द्वारा परिवादी श्री अमित कुमार व उसके परिजनो के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में की गई मदद, फाईल खर्चे एवं भविष्य तंग परेशान नही करने की एवज मे रिश्वत राशि 5,000/-रूपये रिश्वत की मांग करना जिसका मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 4,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 03.04.2025 को रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 08 (आठ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल मूल्य 4,000/-(चार हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं आरोपी श्री कृष्ण मुरारी के भाई श्री बनवारी लाल हैड कानि. आर.ए.सी धौलपुर द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेकर भाग जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 03.30 पी.एम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर टेबिल स्पीकर की मदद से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रिकार्ड वार्ता जिसकी रिकॉडिंग विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में की गई जिसे विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को परिवादी श्री अमित कुमार व गवाहान श्री वकील खॉन, कनिष्ठ सहायक व श्री सिकन्दर खॉन, कनिष्ठ सहायक की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड राजधानी कम्पनी न्यायालय हेतु व दो डीवीयां क्रमशः- एक मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डी.वी.डी को अलग अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर मूल मैमोरी कार्ड को मार्क M-1 व डब डी.वी.डी पर मार्क B अंकित किया, रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डी.वी.डी. को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। मौके पर आरोपी का सहकर्मी नही होने के कारण नमूना आवाज की पहचान सहकर्मी से कराया जाना संभव नही होने के कारण पहचान नही कराई जा सकी। इसके बाद 05.15 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी कृष्ण मुरारी पुत्र श्री रनवीर सिह जाति गुर्जर उम्र 47 साल निवासी गडरपुरा पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल हैड कानि. 11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर की वक्त हाथ धुलाई एवं आरोपी द्वारा पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब की धुलाई के धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 द्वारा विभागीय विडियो कैमरा द्वारा करवाई गई थी, विडियो कैमरा को कम्प्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट किया जाकर विडियोग्राफी की तीन डीवीडीयों तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर मूल डीवीडी न्यायालय प्रति व मुल्जिम डीवीडी को सफेद कपडे की थैलियो में अलग-अलग रखकर सील मोहर मार्क C अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर आई.ओ प्रति डीवीडी की हैश वैल्यू निकाल कर संबंधितो के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली की गई थी। आईओ प्रति डी.वी.डी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया, वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (43) लिखा हुआ है, फर्द डबिंग डीवीडी हाथ धुलाई एवं आरोपी द्वारा पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब की धुलाई के धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी की पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.00 पी.एम पर गवाहन के समक्ष आरोपी कृष्ण मुरारी हैड कानि. 11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर द्वारा परिवादी श्री अमित कुमार से रिश्वत राशि की मांग एंव प्राप्ती के दौरान सामान्य वाईस कॉल वार्ता हेतु कार्य मे लिये गये आरोपी कृष्ण मुरारी हैड कानि. 11 के मोबाईल फोन का आरोपी से पासवर्ड पूछा गया तो उसने लॉक पासवर्ड 2124 होना बताया आरोपी से फोन का लॉक खुलवाया जाकर कॉल लॉग का अवलोकन किया गया तो आरोपी कृष्ण मुरारी हैड़ कानि. के मोबाईल नं. [redacted] पर सिम चालू हालात में जिसमें परिवादी श्री अमित कुमार का मोबाईल नंम्बर [redacted] LUCKY THAKUR के नाम से सेव किया हुआ है जिसमें मुताबिक कॉल लॉग आज दिनांक 03.04.2025 व दिनांक 02.04.2025, 25.03.2025 को इनकमिंग, आउटगोइग व मिस्कॉल होना पाया गया है। उक्त सभी कॉल लॉग्स का स्क्रीन शॉट लिया जाकर आरोपी कृष्ण मुरारी हैड़ कानि. के मोबाईल से ई-मेल आई.डी acb.op.dlp@gmail.com पर प्रेषित किये गये जिनका प्रिन्ट आउट पृथक निकाला जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक

कॉल लॉग्स आरोपी कृष्ण मुरारी हैड़ कानि व परिवादी श्री अमित कुमार रिश्वत मांग एवं रिश्वत प्राप्ती के दौरान एक-दूसरे सम्पर्क मे होना पाया गया। विवरण मोबाईलः- फोन विवो कम्पनी जिसका पासवर्ड 2124 है जिसमें एक जियो कम्पनी सिम जिसका नम्बर [redacted] है व आई.एम.ई.आई. नम्बर [redacted], नम्बर [redacted] है प्रकरण में प्रयुक्त मोबाईल को जप्त किया जाकर मोबाईल को फ्लाइट मोड पर किया जाकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का MOB दिया गया। फर्द जप्ती मोबाईल पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.20 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अमित कुमार व उसके परिजनो के विरूद्व दर्ज मुकदमा नं. 16/25 अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 351(2), 326(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर से संबंधित पत्रावली व आरोपी श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि. 11 के रेहना वाली माता मेला ड्यूटी से संबंधित रवानगी व आदेश की प्रमाणित छायाप्रति श्री बल्लो कानि. 1033 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर ने मुताबिक निर्देशानुसार पुलिस थाना सैपऊ से लाकर पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज 01 लगायत 20 तक है जिसके प्रथम पृष्ठ व अंतिम पृष्ठ संबंधितो के हस्ताक्षर कराये जाकर कब्जा एसीबी ली गई। फर्द जप्ती रिकॉर्ड पृथक से तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.30 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री कृष्ण मुरारी पुत्र श्री रनवीर सिह जाति गुर्जर उम्र 47 साल निवासी गडरपुरा पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल हैड कानि. 11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री अमित कुमार व उसके परिजनो के विरूद्व दर्ज मुकदमें में की गई मदद, फाईल खर्चे एवं भविष्य तंग परेशान नही करने की एवज मे रिश्वत राशि 5,000/-रूपये रिश्वत की मांग करना जिसका मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 4,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 03.04.2025 को रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 08 (आठ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल मूल्य 4,000/-(चार हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाये जाने पर आरोपी को उक्त जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक से लिवायी गई तो पहने हुए कपडों के अलावा एक मोबाईल फोन विवो कम्पनी जिसका पासवर्ड 2124 है जिसमें एक जियो कम्पनी सिम जिसका नम्बर [redacted] है व आई.एम.ई.आई. नम्बर [redacted] नम्बर [redacted] है चालू हालात में मिला जिसे बतौर बजह सबूत प्रकरण हाजा में जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके भतीजे श्री शैलू को मोबाईल नम्बर [redacted] पर दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। चैक लिस्ट अन्तर्गत धारा 41(1)(ख)(2) बीएनएनएस 2023 पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई । इसके बाद समय 07.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री अमित कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ठाकुर उम्र 22 साल निवासी सरेखी पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (43) लिखा हुआ है, उक्त पीतल की सील को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री वकील खॉन, कनिष्ठ सहायक, सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर को सुपुर्द की गई एवं आवश्यकता होने पर न्यायालय में पेश करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। फर्द करने नष्ट नमूना सील पीतल पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। परिवादी श्री अमित कुमार व स्वतंत्र गवाहान को प्रात नक्शे मौके की कार्यवाही हेतु उपस्थित होने बाबत पाबन्द किया गया। इसके बाद समय 07.10 पी. एम पर आरोपी श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि. 11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर का सेवा विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर से प्राप्त हुआ जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 07.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने टे्प कार्यवाही में धोवन की शील्ड शुदा शीशीयां, शील्ड शुदा पेन्ट पैकिट, सील्ड शुदा मोबाईल फोन, वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता का शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड, व शील्ड शुदा डीवीडी, टे्प बॉक्स आदि को मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि. 72 को दुरूस्त हालात में सुपुर्द कर हिदायत दी कि मालखाना में रखा जाना सुनिश्चित करे व मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित करने की मुनासिव हिदायत की गई। इसके बाद समय 10.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71, श्री मनोज कुमार कानि. 179 मय सरकारी वाहन मय चालक तहरीर दी जाकर हिदायत दी गई आरोपी श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि.11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर का सामान्य चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त कर एवं आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर में बन्द हवालात कराया जाकर पालना से अवगत कराये जाने की हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 11.30 पी.एम पर श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71, श्री मनोज कुमार कानि. 179 मय सरकारी वाहन मय चालक फिकरावाला का रवाना शुदा वापस एसीबी चौकी धौलपुर आया दर्ज कराया कि एसीबी चौकी धौलपुर से रवाना होकर सामान्य चिकित्सालय धौलपुर पहुंचा जहां तहरीर दी जाकर आरोपी श्री कृष्ण

मुरारी हैड कानि.11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई सामान्य चिकित्सालय धौलपुर से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर पहुंचा जहां तहरीर दी जाकर आरोपी आरोपी श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि.11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर को बन्द हवालात कराया जाकर रिपोर्ट पहरा सन्तरी किया पुलिस थाना कोतवाली से रवाना होकर वापस एसीबी चौकी धौलपुर आया आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण रिपेार्ट बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 04.04.2025 समय 09.15 ए.एम पर प्रकरण हाजा में श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 व श्री मनोज कुमार कानि. 179 मय सरकारी वाहन मय चालक के गिरफ्तार शुदा अभियुक्त श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि. 11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर को जो कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर में बन्द हवालात है पुलिस थाना कोतवाली से उक्त अभियुक्त को प्राप्त कर लाने के लिए रवाना किया गया है। इसके बाद समय 09.50 ए.एम पर प्रकरण हाजा में श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 व श्री मनोज कुमार कानि. 179 मय सरकारी वाहन मय चालक के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा गिरफ्तार शुदा अभियुक्त श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि. 11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर को बन्द हवालात पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर से प्राप्त कर कार्यालय एसीबी चौकी धौलपुर लेकर आये जो जाप्ता की सुरक्षित निगरानी में है। इसके बाद समय 10.00 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री अमित कुमार कार्यालय उपस्थित आया परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 10.10 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक, श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर कार्यालय उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 10.50 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक व श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक मय परिवादी श्री अमित कुमार के मय पत्रावली मय सरकारी वाहन मय चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर से रिश्वती लेन-देन घटनास्थल के नक्षा मौका व हालात मौका की कार्यवाही हेतु घटनास्थल काली माता मन्दिर गडरपुरा धौलपुर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय 11.05 ए. एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक व श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक मय परिवादी श्री अमित कुमार के मय पत्रावली मय सरकारी वाहन मय चालक उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा काली माता मन्दिर गडरपुरा धौलपुर पहुंचा जहां पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशानदेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक् से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 11.40 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक व श्री सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक मय परिवादी श्री अमित कुमार के मय पत्रावली मय सरकारी वाहन मय चालक के बाद घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार कर काली माता मन्दिर गडरपुरा धौलपुर से रवाना होकर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर पहुॅचकर परिवादी श्री अमित कुमार व स्वतंत्र गवाहान श्री वकील खॉन कनिष्ठ सहायक व सिकन्दर खॉन कनिष्ठ सहायक को कार्यवाही से रूखस्त किया गया। इसके बाद समय 11.50 ए.एम पर प्रकरण में आरोपी के भाई बनवारी लाल हैड कानि. आर.ए.सी छटी बटालियन धौलपुर की भूमिका पाये जाने पर आरोपी के भाई बनवारी लाल हैड कानि. को अनुसंधान हेतु कार्यालय में उपस्थित होने बाबत एवं श्री बनवारी लाल हैड कानि. का सेवा विवरण हेतु इस कार्यालय के विशेष वाहक श्री मनोज कुमार कानि. 179 को अलग-अलग तहरीर दी जाकर कार्यालय कमाण्डेट छठी बटालियन आर.ए.सी धौलपुर को रवाना किया गया । इसके बाद समय 12.30 पी.एम पर मनोज कुमार कानि. 179 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा वापस आया और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय कमाण्डेट छटी बटालियन आर.ए.सी धौलपुर पहुंचा जहां अलग-अलग तहरीर दी जाकर उन पर रसीद प्राप्त कर वापस आया। प्राप्ति रसीद बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। सम्पूर्ण टेªप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री कृष्ण मुरारी पुत्र श्री रनवीर सिह जाति गुर्जर उम्र 47 साल निवासी गडरपुरा पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल हैड कानि. 11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर द्वारा परिवादी श्री अमित कुमार व उसके परिजनो के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में की गई मदद, फाईल खर्चे एवं भविष्य तंग परेशान नही करने की एवज मे रिश्वत राशि 5,000/-रूपये रिश्वत की मांग करना जिसका मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 4,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में दिनांक 03.04.2025 को रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 08 (आठ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल मूल्य 4,000/-(चार हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं आरोपी श्री कृष्ण मुरारी के भाई श्री बनवारी लाल हैड कानि. आर.ए.सी धौलपुर द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेकर भाग जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आरोपी श्री कृष्ण मुरारी हैड कानि. 11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर व आरोपी के भाई श्री बनवारी लाल हैड कानि. छठी बटालियन आर.ए.सी धौलपुर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर प्रेषित की जावेगी। (सुरेन्द्र सिंह) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर......................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिह,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1. श्री कृष्ण मुरारी पुत्र श्री रनवीर सिह जाति गुर्जर उम्र 47 साल निवासी गडरपुरा पुलिस थाना निहालगंज

जिला धौलपुर हाल हैड कानि. 11 पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर एवं 2. श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रनवीर सिह जाति गुर्जर उम्र 51 निवासी गडरपुरा पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल हैड कानि. 101 छठी बटालियन आर.ए.सी धौलपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विवेक सोनी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सवाई माधोपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 68 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 494-98 दिनांक 04.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर। 3. डिप्टी कमाण्डेन्टे, छटी बटालींयन,आर.ए.सी.धौलपुर 4-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIVEK SONI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/04/2025 21:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/02/1977				
2	Male	03/07/1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)